डीजी-परिपत्र संख्या- 37 /2024

प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश ।
गोमतीनगर विस्तार-226002
दिनांकः सितम्बर 2024

विषयः प्रदेश के थानो के मालखानो में लम्बित पड़े मालों का सत्यापन एवं मालों/वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

महोदया/महोदय

आप सभी अवगत हैं कि प्रदेश के जनपदों के अधिकांश थानो में अत्यधिक संख्या में पुराने माल काफी समय से निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं। इन मालो में वाहनों की संख्या काफी अधिक है। जिसमें थानों में पुरानी कारें, ट्रकें, थ्री-व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर व अन्य वाहन थाने के परिसर में पड़े हैं। जिसके कारणा थाना परिसर में गन्दगी के साथ-साथ रख-रखाव हेतु स्थान की कमी भी महसूस की जा रही है। अतएव इन लम्बित मालो का सत्यापन कराकर निस्तारण कराया जाना भी नितान्त आवश्यक है। मालो के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में भी पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है ।

डीजी परिपत्र सं0-35/2000 दिनांक 18.10.2000
डीजी परिपत्र सं0-44/2005 दिनांक 06.09.2005
डीजी परिपत्र सं0-61/2014 दिनांक 29.09.2014
डीजी परिपत्र सं0-24/2015 दिनांक 15.04.2015
डीजी परिपत्र सं0-78/2015 दिनांक 14.12.2015

परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि जनपद स्तर पर मालो के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत निर्देशों का कतिपय कमिश्नरेट/जनपदो द्वारा पर्याप्त रूचि लेकर अनुपालन नहीं किया/कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विशेष अनुज्ञा(क्रि0)संख्या-2745/02 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में अभियोजन के अधीन अभियोगों से सम्बन्धित माल मुकदमाती के निस्तारण के सम्बन्ध में अनुपालनार्थ दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2. आप सतगत होंगे कि मालो का समयान्तर्गत नियमाकूल निस्तारण न होने के कारण जहाँ एक ओर थानो/सदर मालखानो मे मालो का अम्बार लगा रहता है, जिससे मालो का रख रखाव सही ढंग से नही हो पाता है वही दूसरी ओर सार्वजनिक सम्पत्ति का क्षरण भी होता है। मालो के निस्तारण के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर आक्रोश व्यक्त करते हुए निर्देश भी दिये गये हैं। जबकि मालो के रख-रखाव व निस्तारण के सम्बन्ध में उ0प्र0 पुलिस रेग्युलेशन के अध्याय-14 में वर्णित प्रस्तर-165 से 173 "थानो के मालखानों में रखी सम्पति को सुरक्षित रखने, नियमित रूप से निरीक्षण करने एवं उनके निस्तारण हेतु व्यवस्था" में स्पष्ट प्रकिया उल्लिखित है ।

3. आप अवगत हैं कि भारत सरकार द्वारा तीन कानून प्रख्यापित किये गये हैं, जो पूरे देश में दिनांक 01.07.2024 से लागू किये गये हैं। प्रख्यापित नये कानून की बी0एन0एस0एस0 की धारा-497 सम्पत्ति की अभिरक्षा और निपटारा के सम्बन्ध में भी विस्तार से प्रख्यापन किया गया है। नये कानून में निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत हो रहे अभियोगो में सम्बन्धित सम्पत्ति का निस्तारण

कराया जायेगा, जिसके सम्बन्ध में बी0एन0एस0एस0 की उक्त धारा में सम्पत्ति के निस्तारण हेतु विस्तार से वर्णित किया गया है ।

4. सूच्य है कि अभी भी प्रदेश के विभिन्न मा0 न्यायालयों में पूर्ववर्ती संहिता में वर्णित धाराओं के अभियोग विचारण में है। ऐसे अभियोगो के माल भी अभी लम्बित होगें तथा थानो पर अभी भी काफी संख्या में लावारिस वाहन भी लम्बित पड़े हैं। ऐसे मालो/वाहनों के निस्तारण हेतु मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:-

- थानाध्यक्षो का दायित्व होगा कि थानों में लम्बित पड़े मालों का सत्यापन कराकर उसकी सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार करा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि लम्बित मालों का शतप्रतिशत सत्यापन किया जाना नितान्त आवश्यक है।
- थानो पर काफी समय से लम्बित पड़े वाहनो की सूची तैयार कराकर प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन अवश्य करा लिया जाये, जिससे वाहन का रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वास्तविक वाहन मालिक की जानकारी प्राप्त हो सके, तदोपरान्त इस सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा सके।
- ऐसे वाहन जिसके सम्बन्ध में वादी की पहचान निश्चित होने की दशा में आवश्यकता पड़ने पर वाहन को वापस करने के लिए उसके स्वामी से लिखित बाण्ड/गारण्टी/जमानत लेकर उसे वापस किये जाने हेतु वाहन का फोटो लेकर और पंचायतनामा लेकर कार्यवाही की जानी चाहिए। वादी की पहचान न रहने की स्थिति में मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार वाहन की बिक्री की जानी चाहिए।
- सभी थाना प्रभारी अपने थाने के मालखाना रजिस्टर में अंकित प्रत्येक माल जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निर्णीत होने के पश्चात फैसला प्राप्त हो गया हो तो माल रजिस्टर के समक्ष यह अंकित किया जाय कि किस न्यायालय में किस दिनांक में क्या निर्णय हुआ। रजिस्टर नम्बर-8 के भाग-3 से भी इसमें मदद ली जा सकती है।
- जिन अभियोगो में आरोप-पत्र मा0 न्यायालय मे प्रेषित किया जा चुका है, उससें सम्बन्धित सभी मालमुकदमाती सदर मालखाने में दाखिल कर दिया जाय, जिन मामलो में अन्तिम रिर्पोट प्रेषित की गयी हो उसमें न्यायालय से अन्तिम रिर्पोट स्वीकृत कराकर माल के निस्तारण का आदेश प्राप्त कर निस्तारण की एक अवधि सुनिश्चित कर तद्नुसार निस्तारण करा दिया जाये, जो मालमुकदमाती काफी पुराने हो गये हों उनके अभियोगों के परिणाम के सम्बन्ध में स्थित अवश्य ज्ञात कर ली जाये जिसके आधार पर अनावश्यक मालो का निस्तारण किया जा सके ।
- थानों पर जो माल लावारिस पड़े है उनका अतिशीघ्र जनपद के अन्दर तथा पड़ोसी जनपदो मे विज्ञप्ति करा दी जाय। 15 दिवस अधिक से अधिक 01 माह की प्रतीक्षा के बाद क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट से लावारिस माल की विज्ञप्ति करायी जाये। ऐसी विज्ञप्ति को सभी सार्वजनिक स्थानो पर जैसे थाना, ब्लाक, तहसील एवं कचेहरी परिसर मे कई स्थानो पर चस्पा कराया जाय। इस विज्ञप्ति के 06 माह अवधि के बाद जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नीलामी करायी जाये।

- प्रायः कुर्की की वस्तुओं को स्थान के अभाव में थाना परिसर के खुले स्थानों मे अथवा भवन के अनुपयोगी स्थानों में बेतरतीब रूप से रखा जाता है, यह स्थिति उचित नही है। कुर्की में प्राप्त वस्तुओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर नीलाम कराकर धन के रूप में सुरक्षित किया जाये और यथा समय जिस अभियुक्त की सम्पति कुर्क की गयी है, उसकी गिरफ्तारी अथवा हाजिर अदालत होने पर उसके परिवार को वापस किया जाये।
- थानों में लम्बित पड़े लावारिस और लादावा मालों की सूची बनाकर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के माध्यम से यथाशीघ्र नीलामी की प्रकिया के द्वारा मालों का निस्तारण कराया जाए। नीलाम किये जाने योग्य वस्तुओं का मूल्यांकन सक्षम अधिकारियों द्वारा कराकर उनका मूल्य निर्धारित करा लिया जाए।
- नीलामी प्रक्रिया से पूर्व यह सुनिश्चित करा लें कि बस, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी से कराकर उसकी कीमत निर्धारित करा ली जाय। मूल्यांकन हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियो का सहयोग लिया जा सकता है।
- ऐसे माल की नीलामी में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि उक्त नीलामी का लाभार्थी न बने और न ही उन्हें अथवा उनके सम्बन्धियो को उक्त गाड़ियॉ नीलाम की जाये।

5. मै चाहूँगा कि इस परिपत्र में इंगित सभी बिन्दुओं का आप गहराई से अध्ययन कर लें और अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षक/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष को स्पष्ट निर्देश निर्गत करते हुए उनकी इस कार्य में भूमिका निर्धारित करते हुए मालों का निस्तारण करायें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर मालखानों के रख-रखाव एवं लम्बित मालों के निस्तारण में कोई लापरवाही न बरती जाय ।

भवदीय

18.9.2

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
   प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश ।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
3.समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।